

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई- 32 / लूज / सेवानिवृत्त / स्वा.निरी. / 2024 /

दिनांक :-

आदेश

श्री राजेन्द्र कुमार, स्वास्थ्य निरीक्षक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फागी जिला दूदू जिनकी जन्म दिनांक 01.07.1964 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ती दिनांक 09.01.1987 है, को राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 30.06.2024 को अर्द्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त आदेश जारी किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांचा विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

दिनांक : 15/03/2024

क्रमांक:ई- 32 / लूज / सेवानिवृत्त / स्वा.निरी. / 2024 / 63
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दूदू।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फागी, जिला-दूदू।
4. प्रशासनिक अधिकारी, डी.पी.सी/टी.सी (अराजपत्रित), अनुभाग।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के
विरुद्ध यदि कोई
ऑडिट पैरा या अन्य
कोई वसूली बकाया हो
तो उसकी वसूली
तत्काल कर निदेशालय
को अवगत कराया
जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

RajKaj Ref
6010383

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :14-03-2024 05:12:11